स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत
विश्वविद्यालय (मेनुअल)
निर्देशिका

उत्तमा वृत्तिस्तु कृषिकर्मैव

RIGHT TO INFORMATION

SKRAU, Bikaner

स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर

www.ruabikaner.org

अनुक्रमणिका

क्रम सं.	अध्यया	पृष्ठ संख्या
1	प्रस्तावना	2
2	संगठन की विशिष्ठियां कृत्य एवं कर्तव्य (उद्देश्य एवं कार्य)	3
3	अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य	7
4	कर्तव्यों के निर्वहन हेतु नियम विनिमय, निर्देशिका और अभिलेख	10
5	नीति निर्धारण व कार्यन्वयन के संबन्ध में जनता या जन प्रतिनिधियों से परामर्श के लिए बनाई गई व्यवस्था का विवरण	10
6	लोक प्राधिकारी के पास या उनके नियंत्रण में उपलब्ध दस्तावेजों का प्रवर्गों के अनुसार विवरण	10
7	बोर्ड, परीषदों एवं अन्य निकायों का विवरण	12
8	लोक सूचना अधिकारीयों के नाम, पदनाम, एवं अन्य विशिष्टयां	17
9	निर्णय लेने की प्रक्रिया	18
10	अधिकारियों और कर्मचारियों की निदेशिका	18
11	प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक परिश्रमिक और उसके निर्धारण की पद्धति	18
12	प्रत्येक अभिकरण को आंवटित बजट	20
13	अनुदान/राज सहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रीति	21
14	रियायतों अनुज्ञापत्रों तथा प्राधिकारों के प्रति कर्तव्यों के सम्बन्ध में विवरण	21
15	कर्तव्यों के निर्वाह के लिए स्थापित मानक/नियम	21
16	इलेक्ट्रोनिक रूप में उपलब्ध सुचनायें	21
17	सुचना प्राप्त करने के लिए उपलब्ध सुविधाओं का विवरण	22
18	अन्य उपयोगी जानकारी	23

1. <u>प्रस्तावना</u>

1.1 अगस्त 1987 को मोहन लाल सुखाड़िया बहुसंकायी विश्वविद्यालय उदयपुर का विभाजन कर राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर की स्थापना की गई जिसका कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण राजस्थान था। 1 सितम्बर 1999 को राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर का विभाजन कर महाराणा प्रताप कृषि एवं तकनीकि विश्वविद्यालय, उदयपुर की स्थापना के कारण राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार 21 जिलों मे रह गया। राज्य सरकार द्वारा 11.9.2009 को राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर का नामकरण स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर किया गया, वर्तमान में विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार निम्नलिखित 21 जिलों में है :—

1 श्री गंगानगर, 2. हनुमानगढ, 3. बीकानेर, 4 चुरू, 5. जेसलमेर, 6. बाड़मेर, 7. जालोर, 8. पाली, 9. जोधपुर, 10. नागौर, 11. अजमेर, 12. जयपुर, 13. दौसा, 14. करोली, 15. भरतपुर, 16. अलवर, 17. झुन्झनू, 18. सीकर, 19. टोंक, 20. धोलपुर, 21. सवाई माधोपुर ।

1.2 कृषि शिक्षा, अनुसंधान एवं प्रसार के कार्य हेतु कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर का मुख्यालय बीछवाल राष्ट्रीय राजमार्ग 15 पर बीकानेर में स्थित है।

1.3 वर्तमान मे स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर राजस्थान के 7 जलवायु खण्डों के 21 जिलों जो कि अधिकांशत देश के शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं की कृषि एवं ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति करने में प्रयासरत है। उत्पादन, प्रसंकरण, विपणन और उपयोग जैसे कृषि के समस्त उपागमों में वाणिज्य पेशेवर और सार्वजनिक सेवा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु गुणवतापूर्ण प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार करना। नवीन ज्ञान और कृषि क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिये बुनियादी एवं व्यवहारिक अनुसंधान करना तथा नूतन प्रौद्योगिकी को सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के उपभोक्ताओं तक पहूँचाना। कृषि एवं संबन्धित विज्ञान से जुड़े हुऐ अध्यापन, अनुसंधान एवं प्रसार में नेतृत्व प्रदान करना एवं करते हुए आगे प्रयत्न करना विश्वविद्यालय का उद्देश्य है।

1.4 कृषि विश्वविद्यालय का लक्ष्य क्षेत्र में विकास लाना, दक्ष कृषि पेशेवर तैयार करना, आवश्यकता आधारित समस्याओं और फीडबेक के आधार पर शोध करना तथा नवीनतम जानकारियों को सरकारी अभिकरणों और किसान समुदाय के सही और समय से प्रसारित करना।

2. संगठन की विशिष्टिया, कृत्य एवं कार्य (उद्देश्य एवं कार्य)

2.1 संगठन का उद्देश्यः–

(अ) कृषि शिक्षा – कृषि से सम्बन्धित उच्च एवं गुणवत्ता युक्त शिक्षा का कार्य संपादित किया जाता है। कृषि, गृहविज्ञान एवं कृषि प्रबन्ध में स्नातक, स्नातकोत्तर एवं विद्यावाचस्पति स्तर का अध्ययन एवं उपाधियाँ दी जाती है।
(ब) कृषि अनुसंधानः– कृषि के क्षेत्र मे नवीनतम अनुसंधान, उन्नत बीज, जल प्रबन्धन, फसलों को प्रभावित करने वाले रोगों पर अनुसंधान का कार्य, उद्यानिकी एवं वानिकी क्षेत्र मे शोध का कार्य। कृषि के क्षेत्र में केन्द्रीय एवं राज्य स्तर की संस्थाओं से समन्वय।

(स) कृषि प्रसार शिक्षा – नवीनतम शोध, अनुसंधान, उन्नत बीज, वैज्ञानिक तरीकों की जानकारी किसानों को उपलब्ध करवाना, कृषि संबन्धी समस्याओं के निराकरण के लिये कृषि वैज्ञानिकों एवं किसानों के मध्य समन्वय का कार्य।

2.2 संगठन का कार्य :– उच्च एवं गुणवत्ता युक्त कृषि गृहविज्ञान, कृषि प्रबन्धन हेतु 3 कृषि महाविद्यालय, 1 गृहविज्ञान महाविद्यालय एवं 1 कृषि प्रबन्धक महाविद्यालय कार्यशील है जिनमे कृषि, गृह एवं कृषि प्रबन्धन में स्नातक, स्नातकोत्तर एवं विद्यावाचस्पति स्तर का अध्ययन एवं उपाधियाँ दी जाती है

कृषि अनुसंधान हेतु कृषि निदेशालय, कृषि अनुसंधान केन्द्र एवं उप कृषि अनुसंधान केन्द्र कार्य कर रहे है। कृषि निदेशालय के अधिनस्थ इकाईयाँ क्लाईमेट जॉन के आधार पर स्थापित है जो स्थानीय फसलों पर भी अनुसंधान करती है वर्तमान मे 7 कृषि अनुसंधान केन्द्र एवं 8 उप कृषि अनुसंधान केन्द्र कार्यशील है।

कृषि प्रसार शिक्षा कृषि सम्बन्धि नवीनतम शोध, अनुसंधान आदि की जानकारी कृषकों तक पहुंचाने के लिए 14 कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित है।

स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा मुख्यतया कृषि शिक्षा, अनुसंधान, विस्तार के कार्य, निदेशक अनुसंधान, क्षेत्रिय निदेशक ईकाई, प्रभारियों, कार्यक्रम समन्वयकों की नियुक्ति, पदस्थापन शिक्षक एवं गैर शिक्षक कार्मिकों की नियुक्ति, पदस्थापन पाठ्यक्रम संचालन, परीक्षाओं का आयोजन बीज निर्माण, फसलों की बिमारी की रोकथाम, जैव विविधता मौसम की जानकारी, नई तकनीकि, जल प्रबन्धन आदि के कार्य किये जाते है।

2.3 (अ) विश्वविद्यालय का संगठनात्मक ढ़ाँचा

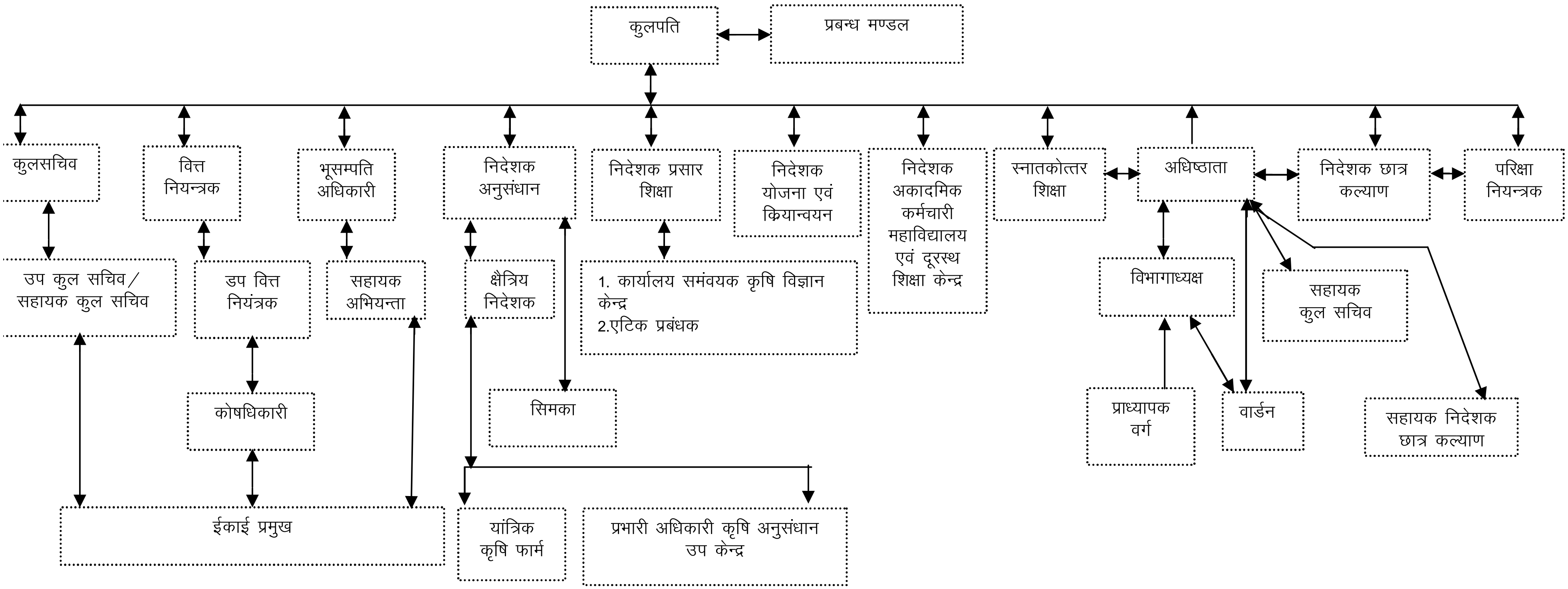

2.3 (1) प्रशासनिक

(i) कुलपति सचिवालय
(ii) कुल सचिव कार्यालय
(iii) वित्त नियंत्रक कार्यालय
(iv) भू सम्पदा कार्यालय
(v) परीक्षा नियंत्रक कार्यालय

(2) निदेशालयः–

(i) निदेशक अनुसंधान, बीकानेर
(ii) निदेशक प्रसार शिक्षा बीकानेर
(iii) निदेशक कृषि व्यवसाय एवं प्रबन्धन संस्थान
(iv) निदेशक योजना एवं क्रियान्वयन
(v) अकादमिक कर्मचारी महाविद्यालय दूरस्थ शिक्षा केन्द्र
(vi) निदेशक दूरस्थ शिक्षा
(vii) निदेशक छात्र कल्याण

(3) महाविद्यालय :–

(i) एस. के. एन. कृषि महाविद्यालय, जोबनेर
(ii) कृषि महाविद्यालय, बीकानेर
(iii) कृषि महाविद्यालय, लालसोट (दोसा)
(iv) गृह विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर
(v) कृषि व्यवसाय प्रबन्धन संस्थान, बीकानेर

(4) क्षैत्रिय निदेशक :–

(i) कृषि अनुसंधान केन्द बीकानेर
(ii) कृषि अनुसंधान केन्द्र दूर्गापुरा, जयपुर
(iii) कृषि अनुसंधान केन्द्र फतेहपुर, सीकर
(iv) कृषि अनुसंधान केन्द्र केशवाना, जालोर
(v) कृषि अनुसंधान केन्द्र मण्डोर, जोधपुर
(vi) कृषि अनुसंधान केन्द्र नवगांव, अलवर
(vii) कृषि अनुसंधान केन्द्र, श्रीगंगानगर

(5) प्रभारी अधिकारी :–

(i) कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र डिग्गी, टोंक
(ii) कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र गोनेरा, कोटपुतली
(iii) कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र, हनुमानगढ
(iv) कृषि अनुसंधान उपकेन्द, नागौर
(v) कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र कुम्हेर, भरतपुर
(vi) कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र सुमेरपुर, पाली
(vii) कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र तबिजि, अजमेर
(viii) कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र समदड़ी, बाड़मेर

(6) कृषि विज्ञान केन्द्र :–

(i) कृषि विज्ञान केन्द्र आबुसर, झूंझनू
(ii) कृषि विज्ञान केन्द्र आकोरासी, करोली
(iii) कृषि विज्ञान केन्द्र, बीकानेर
(iv) कृषि विज्ञान केन्द्र, दौसा
(v) कृषि विज्ञान केन्द्र, धोलपुर
(vi) कृषि विज्ञान केन्द्र फतेहपुर, सीकर
(vii) कृषि विज्ञान केन्द्र करमोडा, सवाईमाधोपुर
(viii) कृषि विज्ञान केन्द्र, जेसलमेर
(ix) कृषि विज्ञान केन्द्र केशवाना, जालोर
(x) कृषि विज्ञान केन्द्र कुम्हेर, भरतपुर
(xi) कृषि विज्ञान केन्द्र नवगांव, अलवर
(xii) कृषि विज्ञान केन्द्र पदमपुर, श्रीगंगानगर
(xiii) कृषि विज्ञान केन्द्र तबिजि, अजमेर
(xiv) कृषि विज्ञान केन्द्र, नागौर

(7) कृषि फार्म :–

(i) विश्वविद्यालय केन्द्रीय फार्म खारा, बीकानेर
(ii) यांत्रिक कृषि फार्म, रोजड़ी

3. अधिकारी और कर्मचारियों की शक्तियाँ एवं कर्तव्य

(1) कुलपति – कुलपति विश्वविद्यालय के प्रधान शैक्षणिक और कार्यपालक अधिकारी है विश्वविद्यालय के कार्यकलापों का पर्यवेक्षण एवं नियन्त्रण।

(2) कुलसचिव–विश्वविद्यालय के अभिलेखों और सामान्य मुद्रा की रक्षा के लिये उत्तरदायी। प्रबन्धन मण्डल और विद्या परिषद के पदेन सचिव और बैठकों के कार्यवृतों का संधारण प्रबन्ध मण्डल एव ंविद्या परिषदों के समक्ष एसी समस्त सुचना रखना जो बैठकों में कारोबार के संव्यवहार के लिए अपेक्षित है। परीक्षा, परीक्षण, कार्यशाला, सेमिनार या विश्वविद्यालय के किसी अन्य कार्यक्रम के संचालन के लिए समस्त आवश्यक प्रबन्ध करना, ऐसे समस्त कृत्य जो कि कुलपति, प्रबन्ध मण्डल द्वारा समनुदेशित किये गये हो। विश्वविद्यालय के द्वारा या विश्वविद्यालय के विरूद्ध दायर वाद या किसी अन्य कार्यवाही के लिये मुखत्यारनामों पर हस्ताक्षर, अभिवचन सत्यापित करना, न्ययालय में उपस्थित होना या उपस्थिति के लिये अधिकृत करना, कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करना जिसके लिये कुलपति द्वारा अधिकृत किया जावे।

(3) वित्त नियंत्रक – वित्तिय नीति के सम्बन्ध में प्रबन्धन मण्डल एवं कुलपति को सलाह देना, बजट तैयार कर प्रबन्धन मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करना, विश्वविद्यालय की आस्तियां विनिधान और सम्पत्तियाँ धारण करना और उनका प्रबन्ध करना निधियों का पर्यवेक्षण और नियन्त्रण। विश्वविद्यालय की धनराशी किसी बैंक या प्रबन्धन मण्डल द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से रखना आवंटित धनराशी का नियत सीमाओं के भीतर व्यय, राजस्व संग्रहण पर्यवेक्षण विश्वविद्यालय की रोकड़ और बैंक अतिशेषों पर निगरानी रखना। संपत्ति के अभिलेखों के समुचित रूप से संधारित कराने को सुनिश्चित करना कार्यालयों, कार्यशालाओं फार्मों और शेडों के समस्त उपकरणो,ं ओजारों और अन्य सामग्रियों के स्टॉक की समुचित रूप से जाँच की जाती है और उन्हें सुरक्षित रूप से भण्डारित किया जाता है विश्वविद्यालय के किसी कार्यालय या केन्द्र या संस्था से सत्यापन के लिये आवश्यक कोई भी सुचना या रिपोर्ट मंगवाना।

4. भूसम्पदा अधिकारी – विश्वविद्यालय में निर्माण, मरम्मत, विद्युत जल आदि का रखरखाव। भवन एवं भूमि से संबन्धित अभिलेखों का संधारण अधिनस्थ कार्यालयों का पर्यवेक्षण विश्वविद्यालय परिसर, अनुसंधान केन्द्र, कृषि विज्ञान केन्द्र के आवासीय परिसरों, खालों, छात्रावास, जिम्नेजियम, जल संग्रहण, हौज, कुएँ, केन्टीन, ग्रीन हाउस आदि का निर्माण एवं मरम्मत का कार्य।

5. अधिष्ठाता – शिक्षण संस्थाओं एवं ईकाईयों के संचालन प्रवेश, अध्ययन, अध्यापन की सुचारू व्यवस्था हेतु उत्तरदायी। वरिष्ठता के आधार पर अधिष्ठाता कृषि संकाय की अध्यक्षता करते है।

6. निदेशक – अनुसंधान, विस्तार, दूरस्थ शिक्षा आयोजना एवं अन्वेषण, छात्र कल्याण एवं शिक्षा प्रबन्धन के संचालन हेतु निदेशक पद स्थापित है।

6.1 निदेशक अनुसंधान – कृषि अनुसंधान कार्यों का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण। कृषि अनुसंधान से सम्बन्धित योजना समन्वय तथा आंकलन करना। फसलों की नई तथा उच्चतम गुणवत्ता वाली किस्मों को विकसित करना तथा शस्य एवं रोग व कीट प्रतिरोधक क्षमता की किस्में विकसित करना। एसी विधियाँ तैयार करना जिससे प्राकृतिक संसाधनों का स्थायित्व किया जा सके।

प्रजनन बीज उत्पादक समन्वय तथा आंकलन करना फूल तथा व्यवहारिक अनुसंधान कार्यों का राष्ट्रीय तथा अन्र्तराष्ट्रीय संस्थाओं से समन्वय स्थापित करना। क्षेत्रिय अनुसंधान केन्द्रों की क्षमताओं में वृद्धि, किसानों तथा अन्य कृषि से संबन्धित वर्गों को सलाह तथा विशेषज्ञ राय देना। बायोटेक्नोलोजी, घास कृषि विविधता के उतकृष्ट केन्द्रों की स्थापना।कृषि अनुसंधान, सुचना प्रबन्धन। राज्य एवं केन्द्र स्तर पर कृषि अनुसंधान परीयोजनाओं का समन्वय। शुस्क खेती वर्षा, जल संग्रहण कम एवं अनियमित वर्षा का समुचित उपयोग, सुखा प्रबन्धन, बून्द–बून्द तथा सिंचाई पद्धति का प्रयोग सम्वषित पोषक तत्व, बागवानी, वांषिकी एवं फसलों का उचित समावेश।

6.2 निदेशक कृषि प्रसार शिक्षा – कृषि विज्ञान केन्द्रों का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण। स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के प्रसार शिक्षा उद्देश्यों, लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु आवश्यक प्रशासन एवं समन्वय करना। राज्य के सेवा क्षेत्रों के किसान वर्ग की आर्थिक उन्नति। विकास के लिये आवश्यक प्रसार कार्यों को नेतृत्व प्रदान करना।

6.3 निदेशक योजना एवं अन्वेषण – योजनाओं का क्रियान्वनय एवं अन्वेषण। कृषि शिक्षा, प्रसार एवं अन्य गतिविधियों का वास्तविक प्रतिवेदन तैयार करना। स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय न्यूज लेटर का प्रकाशन। न्यूज लेटर मे विश्वविद्यालय की छः माह की गतिविधियों एवं महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण दिया जाता है जिसका वर्ष में दो बार प्रकाशन किया जाता है। केन्द्र एवं राज्य सरकार की पंचवर्षीय योजनाओं के लिये कृषि अनुसंधान प्रसार से संबन्धित संस्तुतियां देना। योजनाओं से संबन्धित प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। विश्वविद्यालय के एक्रीडिटेशन से संबन्धित तथ्यों का समन्वय अनुसंषाओं की प्रगति का समन्वय एवं क्रियान्विति का अन्वेषण।

6.4 निदेशक छात्र कल्याण – छात्र कल्याण निदेशालय विद्यार्थियों में अध्ययन के साथ–साथ अन्य गतिविधियों राष्ट्रीय सेवा योजना, राष्ट्रीय केडेट कोर, खेलकूद, विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन का कार्य करता है। विविध गतिविधियों के माध्यम से छात्रों का सर्वागीण विकास करना, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विकसित करना। विभिन्न सांस्कृतिक एवं क्षेत्रिय सामन्जस्य एवं एकता स्थापित करना। छात्रों में देशभक्ति की भावना विकसित करना देश के विकास में छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करना।

6.5 निदेशक अकादमिक महाविद्यालय एवं दूरस्थ शिक्षा – विश्वविद्यालय में कार्मिकों के लिये ओरियन्टेशन एवं रिफ्रेशर कोर्सेज का आयोजन, कार्मिकों की नवीनतम एवं अधतन जनकारी के लिये परीक्षणों एवं कार्यक्रमों का आयोजन, कृषि विभाग के कर्मचारियों, कृषि व्यवसाय करने वाले कृषकों, बेरोजगार कृषि स्नातकों व दूसरे विश्वविद्यालयों के कार्मिक को शिक्षण का कार्यक्रम उपलब्ध करवाना। दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से कृषकों, कृषि व्यवसाय से संबन्धित लोगों का शैक्षणिक कार्यक्रम एवं पाठ्यक्रम उपलब्ध करवाना।

6.6 निदेशक कृषि व्यवसाय प्रबन्धन संस्थान – संस्था का प्रबन्ध एवं संचालन। कृषि व्यवसाय एवं प्रबन्धन संस्था द्वारा कृषि प्रबन्ध में उच्च गुणवतायुक्त कृषि प्रबन्धन के छात्राओं को प्रशिक्षित किया जाता है कृषि प्रबन्ध में उच्च पेशेवर तैयार करना एवं नेतृत्व क्षमता प्रदान करना।

7. परीक्षा नियंत्रक – स्नातक, परीक्षाओं का आयोजन, स्नातक, स्नातकोत्तर एवं विद्यावाचस्पति की उपाधियों की तैयारी एवं वितरण। दीक्षांन्त समारोह का आयोजन। स्नातक एवं स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा का आयोजन ।

8. पुस्तकालयध्यक्ष – पुस्तकालयध्यक्ष पुस्तकों, जनरलों, नियतकालिक पत्रिकाओं, प्रतिवेदनों आदि के कय सूचिकरण और संधारण सहित विश्वविद्यालय पुस्तकालय से सम्बन्धित समस्त विषयों में कार्यवाही हेतु उत्तरदायी।

9. क्षैत्रिय निदेशक – कृषि अनुसंधान केन्द्रों के नियंत्रण पर्यवेक्षण हेतु क्षेत्रिय निदेशक पदस्थापित एवं उत्तरदायी है। क्षेत्रिय निदेशक कार्यरत है। जो कि निदेशक अनुसंधान के नियन्त्रण एवं पर्यवेक्षण में कार्य करते है।

10. प्रभारी अधिकारी कृषि अनुसंधान उप केन्द्र – उप कृषि अनुसंधान केन्द्रों पर नियन्त्रण एवं पर्यवेक्षण।

11. कार्यक्रम समन्वयक – 14 कृषि विज्ञान केन्द्रों पर कार्यक्रम समन्वयक पदस्थापित है। कृषि विस्तार समन्वय प्रशिक्षण कार्य हेतु।

12 अन्य अधिकारी –

12.1 विधि अधिकाारी
12.2 सिमका प्रभारी
12.3 पूल अधिकारी
12.4 लेण्ड स्केप अधिकाारी
12.5 अनुभाग अधिकाारी
12.6 कोषाधिकारी
12.7 सहायक अभियन्ता

4. कर्तव्यों के निर्वहन हेतु नियम विनिमय, निदेशिका और अभिलेख

विश्वविद्यालय के मुख्यअधिनियम, नियम, परिनियम, अध्यादेश, विनियम आदि

1. राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 1987
2. राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय सेवा एवं आचरण नियम
3. राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय अध्यापक एवं अधिकारी सेवा एवं आचरण नियम
4. राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय गैर शैक्षणिक कर्मचारी चयन एवं पदोन्नत्ति नियम
5. राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय क्रय नियम
6. राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय स्वास्थ्य (मेडिकल अरेनस रूल) नियम
7. राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय यात्रा नियम
8. दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी कल्याण योजना 1990
9. राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय पेंशन नियम
10. जहाँ पर विश्वविद्यालय के सेवा पेंशन नियमों में प्रावधान नहीं है वहाँ पर राजस्थान सेवा नियम प्रभावशाली होंगे।

5. नीति निर्धारण व कार्यान्वयन के सम्बनध में जनता या जनप्रतिनिधियों से परामर्श के लिये बनाई गई व्यवस्था का विवरणः—

5.1 विश्वविद्यालय की विधायी संस्था प्रबन्ध मण्डल मे जनप्रतिनिधि एवं विधायक प्रबन्धन मण्डल के सदस्य होते है विधायक के सदस्य के रूप में कार्यकाल एक वर्ष का होता है जन भागीदारी के एक प्रगतिशील किसान प्रबन्ध मण्डल के सदस्य होते है विधायक की नियुक्ति अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा एवं प्रगतिशील किसान की नियुक्ति राजस्थान सरकार द्वारा की जाती है।

6. लोक प्राधिकारी के पास या उनके नियन्त्रण में उपलब्ध दस्तावेजों का प्रवर्गों के अनुसार विवरणः—

6.1 प्रशासनिक अभिलेख — कर्मचारियों की नियुक्ति, पदस्थापन, पदोन्नति अनुशासनिक कार्यवाही वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन आदि से सम्बन्धित अभिलेख अनुभाग अधिकारी I के पास शैक्षणिक वर्ग का अभिलेख एवं अनुभाग अधिकारी गुप 2 के पास गैर शैक्षणिक कार्मिकों से सम्बन्धित अभिलेख संधारित किया जाता है। प्रबन्ध मण्डल विद्या परिषद एवं समय पर गठित समितियों की बैठकों के कार्यवाही विवरण विश्वविद्यालय की भूमि, निजि महाविद्यालय को मान्यता, विविध कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख अनुभाग अधिकारी (सामान्य) वादकरण, विधिक नोटिस, प्रिलिटिगेशन कमेटी आदि से सम्बन्धित अभिलेख विधिशाखा एवं सुचना अधिकार अधिनियम से सम्बन्धित सुचना अधिकार शाखा में संधारित किया जाता है उनका अभिलेख कुलसचिव के नियंत्रण में रहता है।

6.2 वित्त से सम्बन्धित अभिलेख – वित्त कोष, पेंशन भूगतान आदि से संबन्धित अभिलेख वित्त नियंत्रक के कार्यालय के नियंत्रणाधिन है।

6.3 परिक्षाओं से संबन्धित अभिलेख – विश्वविद्यालय के छात्रों की परीक्षायें, परिणाम, अंकतालिका, उपाधि आदि से सम्बन्धित अभिलेख परीक्षा नियंत्रक कार्यालय में परीक्षा नियंत्रक के नियंन्त्रणाधिन रहता है।

6.4 भूसम्पदा से सम्बन्धित अभिलेख – विश्वविद्यालय की भूमि, भवन, संविदा, निर्माण, मरम्मत, जल, विद्यूत आदि से संबनिधत अभिलेख भूसम्पदा अधिकारी कार्यालय मे भूसंपदा अधिकारी के नियंत्रण में रहता है।

6.5 निदेशालय – निदेशक अनुसंधान, निदेशक प्रसार शिक्षा बीकानेर, निदेशक अकादमिक स्टाफ, कॉलेज एवं दूरस्थ शिक्षा केन्द्र, निदेशक आयोजना एवं पर्यवेक्षण छात्र कल्याण, अधिनस्थ कार्मिकों की सेवा पुस्तिकाएँ, वेतन भुगतान कार्य से संबन्धित प्रतिवेदन संबन्धित निदेशालय के कार्य विशेष से संबन्धित सुचनाएँ संधारित होती है। उक्त सभी निदेशालयों के मुख्यालय विश्वविद्यालय परिसर बीकनेर में स्थित है। निदेशक कृषि प्रबन्धन एवं कृषि व्यवसाय बीकानेर में कार्मिकों की सेवा पुस्तिकाएँ, सस्थान में प्रवेश, छात्रों से संबन्धित अभिलेख संधारित होते है।

6.6 महाविद्यालय से संबन्धित अभिलेख – एस. के. एन. महाविद्यालय जोबनेर, कृषि महाविद्यालय बीकानेर, कृषि महाविद्यालय लालसोट, गृह विज्ञान महाविद्यालय बीकानेर के अधिषठातागण के कार्यालयों में अधिनस्थ कार्मिकों के सेवाभिलेख, छात्रों के प्रवेश, छात्रवृत्ति एवं छात्रों से संबन्धित अभिलेख संधारित किये जाते है। अधिष्ठााता स्नातकोत्तर शिक्षा कार्यालय में अधिनस्थ कार्मिकों के सेवाभिलेख, विद्यावाचस्पति एवं स्नातकोत्तर छात्रों के अनुसंधान शोध आदि से संबन्धित अभिलेख संधारित होते हैं।

6.7 कृषि अनुसंधान (क्षैत्रिय निदेशक) कार्यालयों से संबन्धित अभिलेख – कृषि अनुसंधान केन्द्र बीछवाल बीकानेर, कृषि अनुसंधान केन्द्र दुर्गापुरा जयपुर, कृषि अनुसंधान केन्द्र मण्डोर जोधपुर, कृषि अनुसंधान केन्द्र श्री गंगानगर, कृषि अनुसंधान केन्द्र नवगांव अलवर, कृषि अनुसंधान केन्द्र फतेहपुर सीकर, कृषि अनुसंधान केन्द्र जालोर में अधिनस्थ कार्मिकों के सेवाभिलेख, ईकाई के अनुसंधान कार्य, प्रदर्शन, प्रशिक्षण आदि से संबन्धित अभिलेख संधारित होते है

6.8 अतिरिक्त निदेशक – एन. एस. पी. कार्यालय बीज परियोजना यांत्रिक कृषि फार्म खारा, कृषि फार्म रोजड़ी से संबन्धित अभिलेख, अधिनस्थ कार्मिकों के सेवा अभिलेख, बीज उत्पादन, उनयन बीज वितरण आदि से संबन्धित अभिलेख संधारित किये जाते है।

6.9 कृषि अनसंधान उप केन्द्र कार्यालय – कृषि अनुसंधान उप केन्द्र डिग्गी टोंक, कृषि अनुसंधान केन्द्र हनुमानगढ, कृषि अनुसंधान उप केन्द्र कुम्हेर, कृषि अनुसंधान उप केन्द्र सुमेरपुर पाली, कृषि अनुसंधान उप केन्द्र नागौर, कृषि अनुसंधान उप केन्द्र तबिजि अजमेर, कृषि अनुसंधान उप केन्द्र समदड़ी बाडमेर, कृषि अनुसंधान उप केन्द्र कोठपुतली से संबन्धित अभिलेख उपरोक्त कार्यालय द्वारा संधारित किये जाते है।

6.10 कृषि विज्ञाान केन्द्र अजमेर, बीकानेर, नागौर, फतेहपुर (सीकर), नवगांव (अलवर), झूंझनू, सवाईमाधोपुर, करोली, जेसलमेर, भरतपुर, दौसा, धोलपुर, श्री गंगानगर एवं जालोर में स्थित कृषि विज्ञान केन्द्र कार्यालय का प्रभारी समन्वयक अधिकारी होता है प्रसार शिक्षा से संबन्धित तकनीकि प्रशिक्षण प्रदर्शन आदि के लिए संबन्धित जिले के क्षेत्राधिकार के अभिलेख का संधारण किया जाता है।

7. बोर्ड परिषदों एवं अन्य निकायों का विवरणः –

7.1 प्रबन्ध मण्डल – विश्वविद्यालय का प्रबन्ध मण्डल विधायी परिषद् है जो कि नीति निर्धारण, बजट कर्मचारीयों की नियुक्ति, नियंत्रण, सेवा शर्तें, सम्पत्तियों का विनियमयन आदि निर्धारित करती है प्रबन्धन मण्डल का कुलपति अध्यक्ष एवं कुलसचिव सदस्य सचिव होते है। प्रबन्ध मण्डल के निम्नाकिंत सदस्य होते है :–

(1) कुलपति अध्यक्ष – कुलपति पदेन अध्यक्ष

(2) नाम निर्देशित सदस्य :–

(क) कुलपति द्वारा संकायाध्यक्षों, सयुक्त संकायाध्यक्षों और निदेशकों में से नाम निर्देशित दो व्यक्ति;

(ख) कुलपति द्वारा नामनिर्देशित, विश्वविद्यालय के दो आचार्य

(ग) कुलपति द्वारा आचार्यों, संकायाध्यक्षों, सहयुक्त संकायाध्यक्षों और निदेशकों से भिन्न अध्यापकों में से नामनिर्देशित दो व्यक्ति

(घ) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित दो विख्यात शिक्षाविद्

(ङ) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित एक ऐसा विख्यात वैज्ञानिक जिसने कृषि में विशिष्टता प्राप्त की हो

(च) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित एक प्रगतिशील किसान

(छ) अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित राज्य विधानसभा का एक सदस्य

(ज) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक नाम निर्देशित

(3) पदेन सदस्य :–

(क) शासन सचिव, कृषि उत्पादन विभाग, राजस्थान सरकार

(ख) शासन सचिव, पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार

(ग) शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार

(घ) निदेशक, कृषि, राजस्थान सरकार

(ङ) कुल सचिव विश्वविद्यालय, सदस्य सचिव।

(4) शक्तियाँ एवं कर्तव्य :– बोर्ड निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करेगा

(क) विश्वविद्यालय के वित्त, राजस्वों, आस्तियों और सम्पत्तियों को प्रंबधित और प्रशासित करना
(ख) विश्वविद्यालय के समस्त प्रशासनिक कार्यकलाप को नियंत्रित और पर्यवेक्षित करना
(ग) विश्वविद्यालय के वार्षिक बजट को अनुमोदित या मुंजूर करना
(घ) विश्वविद्यालय की सम्पत्तियों और निधियों को अर्जित, धारित या नियंत्रित करना
(ङ) विश्वविद्यालय की और से किसी भी जंगम या स्थावर सम्पत्ति के अन्तरण को स्वीकार करना
(च) कतिपय विनिर्दिष्ट प्रायोजनों के लिए विश्वविद्यालय के व्यवनाधिन रखी गयी निधियों को प्रशासित करना
(छ) शैक्षणिक या प्रशासनिक अथवा किसी भी अन्य विभाग या कार्यालय में अध्यापकों और कर्मचारियों के किन्ही भी पदों का सृजन करना
(ज) विश्वविद्यालय के अध्यापकों और कर्मचारियों की सेवा के निबन्धन और शर्ते अवधारित करना
(झ) अध्यापकों और कर्मचारियों अर्हताएं और कृत्य विनिर्दिष्ट करना
(ञ) किसी भी प्रायोजन के लिए स्थाई या अस्थाई समितियाँ नियुक्त करना
(ट) धन उधार ग्रहण की अनुज्ञा देना या अनुमोदन करना और उसके प्रतिसंदाय की व्यवस्था करना
(ठ) वित्त समिति के परामर्श से स्टाकों, निधियों या प्रतिभूतियाँ में या अनुमोदित बैंक अथवा अन्य वित्तिय संस्थाओं में या आस्तियों अथवा सम्पत्तियों के क्रयों में धन विनिहित करना
(ड) अभ्यागत आचार्यों, प्रतिष्ठित आचार्यों, अध्येताओं, वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की नियुक्तियों की विनियमित और अनुमोदित करना तथा ऐसी नियुक्तियों के निबंधन और शर्ते अवधारित करना
(ढ) अध्यापकों और कर्मचारियों में अनुशासन प्रवृत्त करना ; और
(ण) विश्वविद्यालय से संबन्घित सभी विषयों को अधिनियम और परिनियमों के अनुसार विनियमित और अवधारित करना

7.2 विद्या परिषद – विश्वविद्यालय अकादमिक नीति के पर्यवेक्षण, नियंत्रण एवं विधायन का कार्य, अध्यापन, परीक्षा, जाँच, अनुसंधान, प्रसार शिक्षा निर्देशन अकादमिक स्तर के सुधार, अकादमिक कार्य, प्रवेश, छात्रवृत्ति, फीस आदि शिक्षा संबन्धी कार्य हेतु विद्यापरिषद गठित की गई है। विद्या परिषद के कुलपति अध्यक्ष एवं कुलसचिव पदेनसचिव होते है विद्या परिषद अपनी अनुशंसायें प्रबन्ध मण्डल को प्रस्तुत करती है एवं प्रबन्ध मण्डल के अनुमोदन के पश्चात प्रभावी होती है।

विद्यापरिषद् –

(1) विश्वविद्यालय की विद्यापरिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :–

(क) कुलपतिः पदेन अध्यक्ष;
(ख) संकायाध्यक्ष, स्नातकोत्तर अध्ययन;
(ग) विश्वविद्यालय के समस्त संकायों के संकायाध्यक्ष;
(घ) निदेशक, अनुसंधान;
(ड़) निदेशक, विस्तार;
(च) निदेशक, छात्र कल्याण;
(छ) ऐसे समस्त विभागीय अध्यक्ष जो सह आचार्यों के पद से नीचे के न हो;
(ज) कुपलति द्वारा उक्त अनुक्रम से नामनिर्देशित, प्रसार शिक्षा कार्यक्रम के दो प्रतिनिधि, जो सह आचार्यों के पद से नीचे के ना हो;
(झ) दो ऐसे सह आचार्यों और चार ऐसे सहायक आचार्य जिन्हें डिग्री या स्नातकोत्तर कक्षाओं के अध्यापन का दस वर्ष का अनुभव हो जिसमें अनुसंधान कार्यों का प्रसार शिक्षा कार्यक्रम संचालित करने या उसका मार्गदर्शन करने का अनुभव भी सम्मिलित है, जो उन्ही में चुने जायेंगे;
(ञ) कुलपति द्वारा अध्यापकों या विश्वविद्यालय के कर्मचारियों से भिन्न कृषि के अध्ययन में विशेष उपलब्धियाँ रखने वाले व्यक्तियो में से नामनिर्देशित दो व्यक्ति; और
(ट) विश्वविद्यालय का कुल–सचिवः सदस्य–सचिव।

(2) नामनिर्देशित या चयनित सदस्य की पदावधि दो वर्ष की होगी।

(3) विद्यापरिषद् समस्त महाविद्यालयों और संस्थाओं के शैक्षणिक क्रियाकलाप और कार्यकलाप की प्रभारी होगी और पाठ्यक्रमों, अध्यापन, परीक्षाओं पर और डिग्रियां, डिप्लोमें और प्रमाण–पत्र देने पर नियंत्रण रखेंगी।

(4) विद्यापरिषद् निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करेगी :–

(क) विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीति को पर्यवेक्षित, नियंत्रित और विनियमित कारना;
(ख) अध्यापन, परीक्षा, मूल्यांकन, अनुसंधान और प्रसार शिक्षा के विषयों मे निर्देश देना;
(ग) शैक्षणिक स्तरमानों में सुधार करने के लिए कार्रवाई करना;
(घ) शैक्षणिक कृत्य, अनुशासन, प्रवेश, अध्येतावृत्ति, फीस और अन्य आनुषंगिक विषयों के लिए विनियम बनाना; और
(ड़) ऐसी कोई भी अन्य कार्यवाही या कार्य करना जो समय–समय पर विहित किये जायें।

7.3 प्रबन्ध मण्डल एवं विद्या परिषद द्वारा पारित प्रस्तावों की प्रतियां जनसाधारण द्वारा प्राप्त की जा सकती है।

8. लोक सुचना अधिकारी के नाम पदनाम व अन्य विशिष्ठियां:—

(अ) लोक सूचना अधिकारी

क्रं. सं.	नाम	पदनाम	एस.टी.डी. कोड	दूरभाष कार्यालय	दूरभाष आवास	ई—मेल	पता
1.	श्री राजेन्द्र प्रसाद मिश्रा आर.ए.एस	कुल सचिव	0151	2250025	2230723	reg@raubikaner.org	प्रशासनिक कार्यालय, एसकेराकृवि, बीकानेर प्रशासनिक कार्यों से संबन्धित
2.	श्री जगदीश प्रसाद स्वामी	वित्त नियंत्रक	0151	2250564	2527304		प्रशासनिक कार्यालय, एसकेराकृवि, बीकानेर वित्तिय कार्यों से संबन्धित
3.	श्री सी.एस. लोढ़ा	सहायक अभियन्ता	0151	2250484			प्रशासनिक कार्यालय, एसकेराकृवि, बीकानेर भूसम्पदा से संबन्धित
4.	डॉ. नरेन्द्र कुमार खत्री	परीक्षा नियंत्रक	0151	2250200	2111790		प्रशासनिक कार्यालय, एसकेराकृवि, बीकानेर परीक्षा नियंत्रण आयोजन
5.	डॉ. पी. एन.कल्ला	निदेशक	0151	2251122	2546123		प्रसार शिक्षा निदेशालय, एसकेराकृवि, बीकानेर
6.	डॉ. आर.पी.जांगिड़	निदेशक	0151	2250576	2251256	dor@raubikaner.org	अनुसंधान निदेशालय (कृषि), एसकेराकृवि, बीकानेर
7.	डॉ. राजेश शर्मा,	निदेशक	0151	2252981	2529531	iabm@raubikaner.org	कृषि व्यवसाय एवं प्रबंधन संस्थान, एसकेराकृवि, बीकोनर
8.	डॉ. पी. एस. राठौड़	निदेशक	0151	2250638	2250998	asc@raubikaner.org	अकादमीक स्टाफ कालेज एवं दूरस्थ शिक्षा केन्द्र, एसकेराकृवि, बीकानेर
9	डॉ. गोविन्द सिंह	निदेशक	0151	2250562	2251136	dpm@raubikaner.org	आयोजन एवं पर्यवेक्षण, एसकेराकृवि, बीकानेर
10.	डॉ बी. एल. पूनिया	अधिष्ठाता	0151	2250561	2232831	dpg@raubikaner.org	स्नातकोत्तर शिक्षा कार्यालय,एसकेराकृवि, बीकानेर
11.	डॉ. पी. आर. कोठारी	निदेशक	0151	2250926		dsw@raubikaner.org	छात्र कल्याण कार्यालय, एसकेराकृवि, बीकानेर
12.	डॉ. एम. के. साहू,	अधिष्ठाता	0151	2250292	2253369	coa@raubikaner.org	कृषि महाविद्यालय, बीकानेर ।
13.	डॉ. ए.के. गुप्ता	अधिष्ठाता	01431	222258	0141-2593183		कृषि महाविद्यालय, लालसोट — दौसा
14.	डॉ. जी.एल. केशवा,	अधिष्ठाता	01425	254022	2780048		श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर —जयपुर
15.	डॉ. (श्रीमती) अर्चना राज सिंह	अधिष्ठाता	0151	2250692	2250559		गृह विज्ञान महाविद्यालय, बीकोनर

क्रं. सं.	नाम	पदनाम	एस.टी.डी. कोड	दूरभाष		ई—मेल	पता
				कार्यालय	आवास		
16.	डॉ. एस. गंगौपाध्याय	क्षै0निदे0 अनु0	0151	2250570	2251222		कृषि अनुसंधान केन्द्र, बीछवाल—बीकानेर
17.	डॉ. ओ.पी. गिल,	क्षै0निदे0 अनु0	0141	2550229	2353167		कृषि अनुसंधान केन्द्र, दुर्गापुरा — जयपुर
18.	डॉ. जी. एन. परिहार	क्षै0निदे0 अनु0	0291	2571813	2572114		कृषि अनुसंधान केन्द्र, मण्डोर — जोधपुर
19.	डॉ. बी. एस. यादव,	क्षै0निदे0 अनु0	0154	2440619	2465175		कृषि अनुसंधान केन्द्र, श्रीगंगानगर
20.	डॉ. चक्रेश कुमार	क्षै0निदे0 अनु0	01468	2275279	0144-2371821		कृषि अनुसंधान केन्द्र, नवगॉव
21.	डॉ. मान सिंह,	क्षै0निदे0 अनु0	01571	2230226	2230253		कृषि अनुसंधान केन्द्र, फतेहपुर
22.	डॉ. एन. के. शर्मा, सहा.आचार्य	क्षै0निदे0 अनु0	02973	2265915	222988		कृषि अनुसंधान केन्द्र, जालौर
23.	डॉ. प्रमोद कुमार पुंडीर	अति0निदे0अनु0 (एन.एस.पी) प्रभारी अधिकारी	0151 --- ---	2251513 ---- ---	2540150		राष्ट्रीय बीज परियोजना, बीछवाल — बीकानेर यांत्रिकी कृषि फार्म, खारा, बीकानेर
24.	डॉ. एस. आर. ढाका सहा. आचार्य	प्रभारी अधिकारी	1437	227332	227332		कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, डिग्गी —टोंक
25.	डॉ. टी. बी. भानुशाली सह—आचार्य	प्रभारी अधिकारी	01552	222935	224281		कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, हनुमानगढ
26.	डॉ. यू. बी. सिंह, सहा. आचार्य	प्रभारी अधिकारी	05644	240531			कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, कुम्हेर—भरतपुर
27.	डॉ. वी. एस. जेतावत सहा.आचार्य	प्रभारी अधिकारी	02933	258475	0291-2516313		कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, सुमेरपुर—पाली
28.	डॉ. के. एल. पूनिया	प्रभारी अधिकारी	01582	2243134			कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, नागौर
29.	डॉ. एस.के. जोशी सहा. आचार्य	प्रभारी अधिकारी	0145	2440892	2424742		कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, तबीजी —अजमेर
30.	डॉ. जी.एन. परिहार आचार्य	प्रभारी अधिकारी			0291-2571942		कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, समन्दडी(बाडमेर)
31.	डॉ. डी.के. गुप्ता सहा.आचार्य	प्रभारी अधिकारी	01421	2286216			कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, कोटपुतली
32.	डॉ. बी.के. चावला सहा. आचार्य	फार्म अधीक्षक	01506	276137	01552-269300		यांत्रिकी कृषि फार्म, रोजडी
33.	डॉ. जी.एन. माथुर, आचार्य	कार्यक्रम समन्वयक	0145	2440023	2431890		कृषि विज्ञान केन्द्र, अजमेर
34.	डॉ. अतुल चन्द्रा, आचार्य	कार्यक्रम समन्वयक	0151	2250944	2250998		कृषि विज्ञान केन्द्र, बीछवाल—बीकानेर
35.	डॉ. (श्रीमती) माधुरी जोशी, सह. आचार्य (CAS)	कार्यक्रम समन्वयक	01582	240902	2241037		कृषि विज्ञान केन्द्र, नागौर
36.	डॉ. जुनैद अख्तर, सह. आचार्य (RD)	कार्यक्रम समन्वयक	01571	222062			कृषि विज्ञान केन्द्र, फतेहपुर

क्रं. सं.	नाम	पदनाम	एस.टी. डी. कोड	दूरभाष		ई–मेल	पता
				कार्यालय	आवास		
37.	डॉ. एम. पी. यादव, सह. आचार्य (RD)	कार्यक्रम समन्वयक	01468	275276	0144-2732731		कृषि विज्ञान केन्द्र, नवगॉव – अलवर
38.	डॉ. एस.एम.मेहता, सह. आचार्य (RD)	कार्यक्रम समन्वयक	01592	233420			कृषि विज्ञान केन्द्र, झूझनू
39.	डॉ. राम आसरे, सह. आचार्य (RD)	कार्यक्रम समन्वयक	07462	220870	220120		कृषि विज्ञान केन्द्र, सवाईमाधोपुर
40.	डॉ. आर.पी. जाट, सहा. आचार्य	कार्यक्रम समन्वयक	07469	233795	223850		कृषि विज्ञान केन्द्र, करौली
41.	डॉ. ओ.पी.मीणा, सहा. आचार्य	कार्यक्रम समन्वयक	02992	251359			कृषि विज्ञान केन्द्र, जैसलमेर
42.	डॉ. अमर सिंह, सह. आचार्य (RD)	कार्यक्रम समन्वयक	05644	240691	222438		कृषि विज्ञान केन्द्र, कुम्हेर – भरतपुर
43.	डॉ. आर. एन. शर्मा, सह–आचार्य (RD)	कार्यक्रम समन्वयक	01427	231083	231506		कृषि विज्ञान केन्द्र, दौसा
44.	डॉ. कंवल सिंह सह. आचार्य (CAS)	कार्यक्रम समन्वयक	05642	240457			कृषि विज्ञान केन्द्र, धौलपुर
45.	डॉ. बी.एस. सिद्धू सहा. आचार्य	कार्यक्रम समन्वयक	0154	2440532			कृषि विज्ञान केन्द्र, श्रीगंगानगर
46.	डॉ. एस.आर. कुमावत, सहा. आचार्य, (प्र. शि.)	कार्यक्रम समन्वयक	02973	265648			कृषि विज्ञान केन्द्र, जालौर

(ब) निम्न सहायक लोक सूचना अधिकारीयों के लोकसूचना अधिकारी, कुलसचिव, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर होंगे।

क्रं. सं.	नाम	पदनाम	एस.टी. डी. कोड	दूरभाष		ई–मेल	पता
				कार्यालय	आवास		
1.	श्री विपिन्न लढ्ढा वरिष्ठ तकनीकी सहायक	प्रभारी अधिकारी	0151 0151 0151	2251083 2250437 2250437	2545175		सूचना प्रबंधन एवं कम्प्युटर अनुप्रयोग केन्द्र, बीकानेर केन्द्रीय पूल एवम् केन्द्रीय वर्कशाप, बीकानेर
2.	श्री चेतन प्रकाश राजपुरोहित	सहा. पुस्तकालयअध यक्ष	0151	2251228			केन्द्रीय पुस्तकालय, बीकानेर
3.	डॉ. आई.एम. वर्मा, सहा. आचार्य	प्रभारी अधिकारी					लैण्ड स्केप सैल, बीकानेर

(स) मुख्य अपील अधिकारी

क्रं. सं.	नाम	पदनाम	एस.टी. डी. कोड	दूरभाष		ई–मेल	पता
				कार्यालय	आवास		
1.	डॉ. अनिल कुमार दाहमा	कुलपति	0151	2250443 2250488	2250469 2250529	vcrau@raubikaner. org	

9. निर्णय लेने की प्रकिया :–

9.1 **संस्थान के निर्णय लेने की प्रकिया** – विश्वविद्यालय में राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय 1987 अधिनियम के प्रावधानों के तहत बनाये गये 'स्टेच्यूटस' शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक सेवा नियमों आदि में प्रदत प्रक्रिया के अनुरूप निर्णय लिया जाता है।

9.2 **विशेष विषय पर निर्णय लेने की प्रकिया** – विश्वविद्यालय में विशेष विषय पर निर्णय लेने के लिए पूर्ण व्यवस्था सहित प्रस्ताव प्रबन्धन मण्डल के समक्ष रखा जाता है प्रबन्ध मण्डल द्वारा विचार विमश कर प्रस्ताव पारित करने पर कुलपति के निर्देशानुसाार कुलसचिव द्वारा पालना कराई जाती है जिसके लिए कुलसचिव उत्तरदायी है।

9.3 **लिए गये निर्णय को जनता तक पहूँचाने की व्यवस्था –** विश्वविद्यालय मुख्यतया एक शैक्षणिक एवं कृषि से संबन्धित संस्थान है ऐसे विषय जिनमें जनहित मुख्यतया कृषकों से संबन्धित विषय हो इसके लिए निर्देशक प्रसार शिक्षा के अधीन कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा कृषकों तक निर्णय पहूंचाया जाता है जिसके लिए निदेशक प्रसार शिक्षा उत्तरदायी है।

9.4 **संस्थान में अन्तिम निर्णय लेने के प्राधिकारी अधिकारी –** विशेष विषयों में प्रबन्धन मण्डल द्वारा अन्तिम निर्णय लिया जाता है। कुलपति द्वारा प्रबन्ध मण्डल द्वारा पारित प्रस्तावों की क्रियान्वित एवं अधिनियम में दिये गये प्रावधानों एवं सामान्य कार्य व्यवहार के मामलों में अन्तिम निर्णय लिया जाता है। नीतिगत मामलों में कुलपति एवं माननीय कुलाधिपति द्वारा अन्तिम निर्णय लिया जाता है।

10. अधिकारियों और कर्मचारियों की निदेशिका – विश्वविद्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की विस्तृत जानकारी सहित निदेशिका प्रसारित की हुई है जो कि वेबसाईट पर भी उपलब्ध है। किसी भी कार्य दिवस में लागत मुल्य पर प्राप्त की जा सकती है।

11. प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक और उसके निर्धारण की पद्धति

11.1 वेतनमान

शैक्षिक

Sr.	Post	Grade
1	Vice Chancellor	75000 fix + 5000 Spacial Pay
2	PROFESSOR	(37400-67000)
3	ASSOCIATE PROFESSOR	(37400-67000)
4	ASSISTANT PROFESSOR	(15600-39100)

शैक्षैत्तर

Sr.	Post	Grade
1	A.E.N.	(15600-39100)
2	ASSTT.LIB.	(15600-39100)

Sr.	Post	Grade
3	COMPTROLLER	(15600-39100)
4	ESTATE OFFICER	(15600-39100)
5	LAW OFFICER	(15600-39100)
6	P.R.O.	(15600-39100)
7	P.S.	(15600-39100)
8	REGISTRAR	(15600-39100)
9	ACCOUNTANT	(9300-34800)
10	AGRI.SUPERVISOR	(9300-34800)
11	ARTI.INS.	(9300-34800)
12	ARTIST	(9300-34800)
13	ASSISTANT	(9300-34800)
14	ASSTT.ACCT.OFF.	(9300-34800)
15	COACH(FOOTBALL)	(9300-34800)
16	COMP.PROGRAMMER	(9300-34800)
17	DAIRY ASSTT.	(9300-34800)
18	DATA ENT.OPR.	(9300-34800)
19	DEMONSTRATOR	(9300-34800)
20	FARM MANAGER	(9300-34800)
21	FITTER	(9300-34800)
22	HERB.KEEPER	(9300-34800)
23	JR. MECHANIC	(9300-34800)
24	JR.ARTIST	(9300-34800)
25	JR.TECH.ASSTT.	(9300-34800)
26	L.A.	(9300-34800)
27	LAB.TECH.	(9300-34800)
28	LIB.ASSTT.	(9300-34800)
29	MATRON	(9300-34800)
30	MECHANIC	(9300-34800)
31	MUNSHI	(9300-34800)
32	MUSIUM ASSTT.	(9300-34800)
33	NUR.SCH.TEACHER	(9300-34800)
34	P.A.	(9300-34800)
35	PHOTOGRAFER	(9300-34800)
36	POULTRY SUPER.	(9300-34800)
37	S.O.	(9300-34800)
38	S.T.A.	(9300-34800)
39	SR.P.A.	(9300-34800)
40	STENOGRAPHER	(9300-34800)
41	T.A.	(9300-34800)
42	TECHNICIAN	(9300-34800)
43	TRG.ASSTT.	(9300-34800)
44	U.D.C.	(9300-34800)
45	ASSTT. MECHANIC	(5200-20200)
46	BOOK LIFTER	(5200-20200)
47	CARPENTER	(5200-20200)
48	COMPUTER OPERT.	(5200-20200)
49	COOK	(5200-20200)
50	DRIVER	(5200-20200)
51	FARRASH	(5200-20200)
52	L.D.C.	(5200-20200)
53	LAB ASSTT.	(5200-20200)
54	MALI	(5200-20200)
55	MISTRI	(5200-20200)
56	PLANT OBSERVOR	(5200-20200)
57	PLUMBER	(5200-20200)

Sr.	Post	Grade
58	STORE MUNSHI	(5200-20200)
59	WELDER	(5200-20200)
60	WIRE MAN	(5200 20200)
61	ANI.ATTEND.	(4750-7440)
62	BELDAR	(4750-7440)
63	CATTLE ATTEND.	(4750-7440)
64	CHOWKIDAR	(4750-7440)
65	CLASS-IV	(4750-7440)
66	CLEANER	(4750-7440)
67	FARM ATTENDENT	(4750-7440)
68	FARM WORKER	(4750-7440)
69	GARDNER	(4750-7440)
70	GWALA	(4750-7440)
71	HELPER	(4750-7440)
72	LAB ATTEND.	(4750-7440)
73	MESSANGER	(4750-7440)
74	PEON	(4750-7440)
75	PLOUGHMAN	(4750-7440)
76	POULTRY ATTDT.	(4750-7440)
77	SHEPHRED	(4750-7440)
78	SWEEPER	(4750-7440)
79	WAITER	(4750-7440)
80	WATCHMAN	(4750-7440)

11.2 वेतनमान निर्धारण राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वेतनमान विश्वविद्यालय में लागु किये जाते है।

12. प्रत्येक विभाग को आवंटित बजट

SWAMI KESHWANAND RAJASTHAN AGRICULTURAL UNIVERSITY : BIKANER

BUDGET NOTE

Rajasthan is the largest State in India, falling in the northwestern part of the country. The situation of low water availability in the State is aggravated as uneven part of the state lies in arid and semi arid zones.

SKRAU, Bikaner is administering following institutions :

Colleges	-	5
Agricultural Research Stations	-	7
Agricultural Research Sub-Stations	-	8
Krishi Vigayan Kendras	-	14

(A) TEACHING :

The two facilities of SKRAU, Viz Agriculture and Home Science have graduate, Post graduate and doctoral programs. The University has four constitutes colleges, three in faculty of Agricultural, one Home Science and one relates to the Agricultural Business Management. In order to apply the uniform admission criteria in all agricultural college of the state, the scope of Joint Entrance Test (JET) for admission to B.Sc. (Agri.) programme was initiated to cover all the private and Govt. College of the State.

(B) RESEARCH :

SKARU conducts basic and applied research in field of agriculture, agro-forestry, home science and allied sciences. The research is being carried out on agro-climate zone basis with 7 main stations and 8 ARRS in the SKRAU. In these research stations, the research is carried out through All India

Coordinated Research Projects financed by the ICAR share. Adhoc Project are financed by Ministry of Agril./DST/DBT and other agencies.

(C) EXTENSION EDUCATION :

Extension Education is care by the Directorate of Extension Education through 14 Krishi Vigyan Kendra (KVKs) covering 21 districts of the State and by constituent Colleges. The activities are conducted through various training courses. Demonstrations and farmers fairs, field days, programme of adoption of village for integrated farming system.

STATEMENT OF HEADWISE BUDGET ALLOCATIONS

(Rs. In thousand)

HEAD	SALARY	MED	T.A.	REC.	NR	CIVIL	TOTAL	%
NON-PLAN	476673	2117	1210	44514	0	4000	528514	56.99
STATE PLAN	6493	10	10	3500	60562	15000	85575	9.23
ICAR	168684	1361	4885	31675	8964	8000	223569	24.11
OCS	0	0	0	82048	7633	0	89681	9.67
TOTAL	651850	3488	6105	161737	77159	27000	927339	100
%	70.29	0.38	0.66	17.44	8.32	2.91	100	

SUMMARY OF THE EXPENDITURE ESTIMATES

Revised Estimate 2010-11 is Rs. 1502501 thousand and Budget Estimate 2011-12 is Rs. 927339 thousand similarly the details of the same are as under :

(Rs. thousand)

SECTOR	R.E. 2010-11	B.E. 2010-12
NON-PLAN	578046	528514
STATE-PLAN	67993	85575
ICAR	775706	223569
OTHER AGENCIES	80756	89681
GRAND TOTAL	1502501	927339

13. अनुदान/राज– सहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रीतिः–

विश्वविद्यालय में प्रायोज्य नहीं है।

14. रियायतों अनुज्ञापत्रों तथा प्राधिकारो के प्राप्ति कर्ताओं के संबन्ध में विवरण

लागू नहीं है।

15. कृत्यों के निर्वाहन के लिए स्थापित मानक/नियम :–

विश्वविद्यालय द्वारा राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 1987 तथा स्टेच्यूटस में दिये गये प्रावधानों के अंतर्गत कृत्यों का निर्वहन किया जाता है इसके अलावा (1) राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर कर्मचारी सेवा एवं आचरण नियम, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर शिक्षक एवं अधिकारी सेवा एवं आचरण नियम आदि का पालन किया जाता है।

16. इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध सुचनायें – विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी, महत्वपूर्ण सुचनायें उपलब्ध है।

17. सुचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण

17.1 सुचना पटल – लोक सुचना अधिकारियों के कार्यालय में सुचना पट प्रदर्शित करवाये गये हैं।

17.2 अभिलेखों का निरिक्षण – कार्यालयों में उपलब्ध अभिलेख का निरिक्षण किसी कार्य दिवस को आवेदन प्रस्तुत कर किया जा सकता है।

17.3 दस्तावेजों की प्रति प्राप्त करने की व्यवस्थाः विश्वविद्यालय के अधीन 5 महाविद्यालय, 7 कृषि अनुसंधान केन्द्र, 8 कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, 14 कृषि विज्ञान केन्द्र, 2 कृषि फार्म तथा अन्य कार्यालय अलग–अलग जिलों में स्थित है। अधिष्ठाता, निदेशक, क्षैत्रिय निदेशक, प्रभारी अधिकारी कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, समन्वयक अधिकारी आदि को लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है ताकि वांछित सूचना, दस्तावेजों की प्रतियां शीघ्र एवं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो सके। किसी कार्य दिवस को कार्यालय में उपस्थित होकर या डाक द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर नियमानुसार शुल्क जमा करवा कर प्राप्त किये जा सकते है।

17.4 विभागीय मेन्युल – विभागीय मेन्युल प्रकाशित। विश्वविद्यालय में कर्मचारियों की संख्या अधिक होने के कारण कर्मचारियों का पूर्ण विवरण हस्तपुस्तिका में किया जाना व्यवहारीक नहीं है। कर्मचारियों की विवरणीका दूरभाष सहित अलग से प्रकाशित की गई है जो कि शुल्क सहित उपलब्ध है।

17.5 लोक प्राधिकरण की वेबसाईट – www.raubikaner.org

About Swami Keshwanand
Home
Vice Chancellor
Administrative Set Up
Board of Management
Academic Council
Constituent Colleges
Degrees Offered
Research Activities
Extension Education
Events Calendar
Latest News
Advt/Recruitment
Tenders
Frequently asked Questions
SKRAU Photo Gallery
University Publications
Faculty Directory
Right To Information
University Links
SKRAU Newsletter
Contact Us
SKRAU Mail
NISAGENET

18. अन्य उपयोगी जानकारी

जन सुविधा के लिए सभी ईकाई प्रभारी लोक सुचना अधिकारी नियुक्त है। ईकाई से संबन्धित सुचना के लिए संबन्धित ईकाई में ही आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है।

सुचना हेतु आवेदन पत्र के लिए कोई निर्धारित प्रारूप पत्र की आवश्यकता नहीं है आवेदक लोकसुचना अधिकारी के समक्ष वांछित सुचना का वर्णन करते हुए अपने पूर्ण पते सहित आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है कुलपति अपील अधिकारी हैं, सुचना नहीं मिलने पर अपील अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की जा सकती है।